शब्दावली

विनियोग	:	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) के प्रति हुए वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
विनियोग अधिनियम	:	संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय किन्तु जो संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरण में दर्शायी हुई राशि से किसी भी स्थिति में अधिक न हो की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	:	इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	:	पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियां, विनिवेश से प्राप्तियां आदि शामिल है।
प्रभारित विनियोग	:	संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)	:	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जो का प्रवाह होता है। भा.स.नि. से समस्त व्यय दत्तमत्त अथवा प्रभारित विनियोग द्वारा किया जाता है। यह राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभागों से निर्मित है।

भारत की आकस्मिकता निधि	:	संसद द्वारा विधि अनुसार अग्रदाय के रूप में, एक ऐसी आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी है जिसमें से अपपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके जब तक संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अंतर्गत इस प्रकार का व्यय संसद द्वारा विधि अनुसार प्राधिकृत न हो जाए।
लो.वि.प्र.प्र. (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित)	:	लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित) केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मॉ.प्र.) योजना आयोग की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजनागत योजना है जो लेखा महानियंत्रक द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजनागत योजनाओं के लिए एक समान लेन-देन आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली एवं एम.आई.एस. को स्थापित किया गया है। इस मंच का विस्तार अब राज्य खजानों में सीधे प्राप्त होने वाली योजनागत निधियों के प्रभावी भुगतान के लिए राज्य सरकारों तक किया जा चुका है।
ऋण शोधन	:	देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
अनुदान मॉगें	:	अनुदान मांगें किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं तथा यह व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से दर्शाती है तथा इन्हें संसद में दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें लोकसभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने के कुछ दिन पहले उस मंत्रालय द्वारा सदन के पटल पर रखी जाती है।
	:	चूंकि अनुदान मांगें सकल व्यय के लिए होती है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले निवल व्यय को दर्शाता है, अत: सकल व्यय की कटौती में प्राप्तियों को समायोजित करने के पश्चात् दोनों के योग में सामंजस्य किया जाना चाहिए।

ई-लेखा : मूल लेखांकन समाधन (मू.ले.स.) लेखांकन प्रक्रिया की दक्षता तथा शुद्धता को सुधारने के उद्देश्य से सिविल लेखा संगठन हेतु एक इलेक्ट्रानिक भुगतान तथा लेखांकन साफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। वेतन एवं लेखा कार्यालयों में प्रयुक्त साफ्टवेयर तथा अन्य आफलाईन इंटरफेस पर तथा उसके इर्द गिर्द इसे निर्मित किया गया है। कॉम्पेक्ट आधारित तथा यह मूल्य संवर्धित रिपोर्टिंग तथा मानीटरिंग क्रियाविधि हेतु दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के समाकलन सहित मूल लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करता है।

अधिक अनुदान : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में प्राधिकृत राशियों से सार्थक रूप में बढ़ जाते हैं, अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।

बाह्य ऋण : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित ऋण अर्थात् विश्व बैंक, आई.बी.आर.डी. आई.डी.ए. आदि से कर्जा।

राजकोषीय घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि सहित हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार की कुल उधारी तथा लम्बित ऋण में हुए इजाफे को भी दर्शाता है।

संघटक लागत पर स.घ.उ. : संघटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसे उत्पन्न करने में प्रयुक्त संघटकों की लागत द्वारा स.घ.उ. का मापक है अर्थात् उन संघटकों द्वारा अर्जित आय द्वारा इसे बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में से अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है।

बाजार मूल्य पर स.घ.उ. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका आकलन चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान लागू कीमतों पर किया जाता है।

आन्तरिक उधार : भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋण, आन्तरिक उधार के अंतर्गत आते हैं, इसे "भारत में उठाया गया कर्ज" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जो तक सीमित होता है।

मुख्य शीर्ष : लेखे में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष एक प्राप्ति शीर्ष है या राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण शीर्ष है।

लघु शीर्ष : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड आवंटित किया गया है, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होता है।

नई सेवा : इसका अभिप्राय पहले से संसद के संज्ञान में न लाये गये किसी नए नीतिगत निर्णय द्वारा उत्पन्न हुए तथा निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है जिसमें एक नया कार्यकलाप अथवा एक नए निवेश का तरीका शामिल होता है।

सेवा का नया साधन : किसी वर्तमान गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न तथा निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक विशाल व्यय।

मूल अनुदान : किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए 'वार्षिक वित्तीय विवरण' में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।

प्रारंभिक घाटा : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा निकल आता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके ब्याज रहित व्यय के आधिक्य के रूप में भी इसे देखा जा सकता है।

लोक लेखा : समेकित निधि में शामिल धन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त सभी प्रकार के धन को भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें 'कर्ज' से संबंधित ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो समेकित निधि में शामिल नहीं होते। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।

लोक ऋण (भारत का) : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।

पुनर्विनियोजन : विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।

राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर होता है।

राजस्व व्यय : यह सरकार के सामान्य अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों सब्सिडी तथा अंतरण आदि चलाने के लिए किया जाता है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के उद्देश्य से किए गए हों।

राजस्व प्राप्तियां : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

स्टॉक : स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तातरणीय न हो बल्कि जो हस्तांतरण दर्ज करके तथा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके हस्तांतरित किया जा सके।

अनुपूरक अनुदान : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।

बचत का अभ्यर्पण : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में पायी गयी प्रत्याशित बचतों को वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जायेगा।

बचत : जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।

दत्तमत्त अनुदान : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।